भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 911

जिसका उत्तर 06.02.2020 को दिया जाना है

यात्री बसों के लिए परमिट की स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय नीति

911. श्री जसबीर सिंह गिलः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश भर में अंतर-राज्यीय मार्गों पर यात्री बसें चलाने के लिए परमिटों की स्वीकृति हेतु कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस प्रकार की कोई नीति आरंभ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): जी, नहीं।

(ग) और (घ): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में संशोधन के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसे सा.का.नि. 873 (अ), दिनांकित 12 सितंबर, 2018 के माध्यम से मोटर यान (अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट) नियमावली, 2018 के रूप में कहा जाना प्रस्तावित है।

*****